प्रेस नोट
दिनांक 29.07.2025

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड, बडी मात्रा अर्द्धनिर्मित तमंचे, कारतूस व उपकरण बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अवैध शस्त्रों के निर्माण, क्रय–विक्रय एवं संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड करते हुए बड़ी मात्रा अर्द्धनिर्मित तमंचे, कारतूस व उपकरण बरामद कर अभियुक्त शीतला प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र स्व. रामप्रताप विश्वकर्मा निवासी ग्राम विरजा पाण्डेय पुरवा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28/29.07.2025 की रात्रि थाना वजीरगंज के उ0नि0 रामधारी दिनकर मय पुलिस टीम के साथ संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, वांछित अभियुक्तों की तलाश हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। महराजगंज में चेकिंग करते समय एक संदिग्ध व्यक्ति तरबगंज की ओर से डुमरियाडीह की दिशा में आता हुआ दिखायी दिया, जो पुलिस बल को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम शीतला प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र स्व. रामप्रताप विश्वकर्मा निवासी ग्राम विरजा पाण्डेय पुरवा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा बताया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अवैध शस्त्र के विषय में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह अपने घर पर अवैध देशी तमंचा बनाकर बेचने का कार्य करता है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर पर छापेमारी की गई, जहाँ से अवैध शस्त्र निर्माण सामग्री, अर्धनिर्मित तमंचे, कारतूस, बैरल एवं निर्माण उपकरणों का भारी मात्रा में समान बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. शीतला प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र स्व. रामप्रताप विश्वकर्मा निवासी ग्राम विरजा पाण्डेय पुरवा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–237/25, धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
02. अर्धनिर्मित देशी तमंचा–07 अदद।
03. अर्धनिर्मित 06 फैरा–01 अदद।
04. जिंदा कारतूस 12 बोर–02 अदद।
05. खोखा कारतूस 32 बोर–08 अदद।
06. खोखा कारतूस 315 बोर–02 अदद।
07. 12 बोर बैरल–05 अदद।
08. 315 बोर बैरल–01 अदद।
09. 12 बोर अर्धनिर्मित बैरल–05 अदद।

10. तमंचा बनाने के उपकरण, ड्रिल मशीन मोटराइज 01 अदद, मैनुअल ड्रिल मशीन 01 अदद, हथौड़ी, कटर, रेती, स्प्रिंग, ट्रिगर, रिंच, पिलास, डाई, लोहे की रॉड, कैची, ग्लेंडर पत्थर आदि।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 रामधारी दिनकर।
02. उ0नि0 विक्रमादित्य।
03. मु0आरक्षी अतुल सिंह।
04. मु0आरक्षी रोबिन सिंह
05. आरक्षी मंजीत सिंह
06. आरक्षी सुशील सिंह
07. आरक्षी नागेन्द्र यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.07.2025

थाना वजीरगंज पुलिस वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड, 03 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की 04 अदद मोटरसाईकिलें बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 03 शातिर वाहन चोरों–01. दुर्गेश विश्वकर्मा, 02. सुशील कुमार, 03. किशन मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से चोरी की 04 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28.07.2025 को थाना वजीरगंज के उ0नि0 रामप्रकाश चन्द मय टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि तीन संदिग्ध युवक चोरी की मोटरसाइकिल से डुमरियाडीह की तरफ आ रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा इमलिया चौराहे पर सघन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार तीनों व्यक्तियों को रोका गया। पूछताछ में अभियुक्तगणों ने बताया कि यह मोटरसाइकिल उन्होंने दिनांक 27.07.2025 को बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर से चोरी की थी। गहन पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा और भी मोटरसाइकिलें चोरी करने की बात स्वीकार की गई तथा उनकी निशानदेही पर तीन और चोरी की मोटरसाइकिलें ग्राम इमलिया के समीप झाड़ियों से बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे संगठित रूप से मिलकर मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं। अभियुक्तगणों ने दिनांक 27.07.2025 को बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर (वजीरगंज) से 01 अदद हीरो स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल व दिनांक 02.07.2025 को तरबगंज बाजार से हीरो स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल चोरी की थी। दो अन्य मोटरसाइकिलें (डी0एल0 नंबर की) दिल्ली से चोरी की गई प्रतीत होती हैं। अभियुक्तों ने बताया कि वे भीड़भाड़ वाले स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी कर, उन्हें जंगल में छिपाकर रखते हैं और सही मौका देखकर बेच देते हैं। चोरी से प्राप्त पैसे से अपने निजी खर्चों को पूरा करते हैं। वे पहले भी कई स्थानों से मोटर साइकिल चोरी कर चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. दुर्गेश विश्वकर्मा पुत्र रंजीत विश्वकर्मा निवासी बाबूराम पुरवा, विशुनपुर, थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. सुशील कुमार पुत्र प्रेमनाथ निवासी बिरजापुरवा, विशुनपुर, थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03. किशन मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा निवासी सिंगहा भोज, थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0 235/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–211/25, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 04 अदद चोरी की मोटरसाईकिलें।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 रामप्रकाश चन्द
02. हे0का0 अनिल कुमार
03. का0 शिवप्रताप यादव
04. का0 अम्बरीश यादव
05. का0 राजन जायसवाल
06. का0 रजनीश यादव

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 29.07.2025

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल, साथी गिरफ्तार, कब्जे व निशानदही से लाखों की ज्वेलरी, अवैध असलहा व बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाईकिल बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में एस0ओ0जी0 व थाना कर्नलगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कादीपुर स्थित मंदिर के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 शातिर बदमाशों–01. सुनील चौधरी, 02. खेमराज गिरि को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस, सोने–चांदी के आभूषण व 01 अदद बिना नम्बर प्लेट की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 22.07.2025 अज्ञात चोरो द्वारा वादी महेश सोनी पुत्र श्यामसुन्दर सोनी, निवासी बालकराम पुरवा, थाना जनपद गोण्डा की ज्वेलर्स की दुकान में नकबजनी की घटना कारित कर सोने–चांदी के आभूषण व नगदी रूपयों की चोरी की गयी थी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। वादी महेश सोनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के पर्यवेक्षण में 05 पुलिस टीमों का गठन किया गया था तथा प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस को भी घटना के सफल अनावरण हेतु लगाया गया था। लगातार सुराग–साक्ष्य संकलन व तकनीकी निगरानी के माध्यम से आज दिनांक 29.07.2025 को थाना कर्नलगंज व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण ग्राम कादीपुर की ओर बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा ग्राम कादीपुर मंदिर के पास घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। जिसमें बदमाशों द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में बदमाश सुनील चौधरी के पैर में गोली लगी तथा इस दौरान उसका दूसरा साथी खेमराज गिरी पुत्र गोपाल गिरि निवासी खरगूपुर बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा अंधेरे का लाभ लेकर मौके से फरार हो गया, जिसे तत्परता से की गई कांबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों के कब्जे व निशानदेही से लाखों की ज्वेलरी, अवैध असलहा व बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाईकिल को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। दोनों अभियुक्त अपराध की दुनिया के शातिर व सक्रिय सदस्य हैं, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी चोरी, लूट, नकबजनी व अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. सुनील चौधरी पुत्र प्रभुनाथ नि0 भुलईडीह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. खेमराज गिरि पुत्र हकदेव नि0 शुकुलपुरवा मुण्डेरवा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–276/25, धारा 331(4),305 बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–291/25, धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 पीस कटोरी सफेद धातु।
02. 01 पीस गणेश लक्ष्मी की मूर्ति सफेद धातु।
03. 08 पीस राखी सफेद धातु।
04. 02 पीस पायल सफेद धातु।
05. 01 पीस ब्रेसलेट सफेद धातु।
06. 26 पीस कुण्डा सफेद धातु।
07. 02 अदद प्लेट सफेद धातु।
08. 02 अदद पुराना पायल सफेद धातु।
09. 07 जोड़ी बिछिया पुरानी सफेद धातु।
10. 01 जोड़ी टप्स पीली धातु।
11. 03 अदद लाकेट पीली धातु।
12. 05 अदद कील/नथुनी पीली धातु।
13. 18500/– रू0 नगद।
14. 01 अदद हीरो हण्डा स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट।
15. 01 अदद 315 बोर तमंचा मय 02 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।
16. नकबजनी करने के उपकरण।

अभियुक्त सुनील चौधरी का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–107/2024, धारा 380,411 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–360/2013, धारा 504,506,354 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त खेमराज गिरि का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–308/2013 धारा 392,411 भादवि थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–1397/2013, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना जरवल रोड जनपद बहराइच।
03. मु0अ0सं0–444/2013, धारा 392,411 भादवि थाना जरवल रोड जनपद बहराइच।
04. मु0अ0सं0–507/2013, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जरवल रोड जनपद बहराइच।
05. मु0अ0सं0–331/2021, धारा 406,420 भादवि थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. प्र0नि0 तेज प्रताप सिंह को0 कर्नलगंज।
02. एस0ओ0जी0 प्रभारी गौरव सिंह तोमर।
03. उ0नि0 राजीव कनौजिया
04. उ0नि0 बृजेश सिंह
05. उ0नि0 सुधीर यादव

06. हे0का0 रणधीर सिंह एसओजी0
07. हे0का0 अमित पाठक।
08. हे0का0 राकेश सिंह
09. हे0का0 महेन्द्र।
10. हे0का0 लोकेश नागर।
11. हे0का0 पंकज सिंह।
12. हेड कांस्टेबल सुभाष यादव
13. हेड का0 अरविन्द राणा।
14. हेड कांस्टेबल हरिलाल।
15. का0 जितेंद्र कुमार।
16. का0 राहुल कुमार।
17. का0 प्रमोद कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।